


राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक : डीसी/ई/एफ-26/ 2015/

दिनांक : / /2015

--: आ दे श :-


इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक डीसी-2/2015/82 दिनांक 02.03.2015 के पैरा 07 को समाप्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गुण अवगुण के आधार पर बाजार/अस्पताल/संस्था से 06 औषधियों के नमूने प्रतिमाह लेकर जॉच/परिक्षण हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत इसी माह से भिजवायेगें। इसका विवरण निर्देशानुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।


(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।
दिनांक : 8/10/2015

क्रमांक : डीसी/ई/एफ-26/ 2015/ 619

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. औषधि नियंत्रक- द्वितीय, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मन्दिर मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि जारी आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
8. प्रभारी सी डेस्क, संगठन मुख्यालय।
9. आदेश /गार्ड।


(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।